तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-9-2019	**एकल पीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित :-** श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक अपीलार्थी श्री एस.एन. बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट **निर्णय** 1- यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपीली प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-8-2006 के विरूद्ध पेश की गई है। 2- प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलेक्टर अलवर ने अप्रार्थी संख्या-1 श्री सरसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिनांक 19-6-2002 को विवादित आराजी खसरा नम्बर-148 रकबा 2.35 एयर, खसरा नम्बर-190 रकबा 0.90 एयर, खसरा नम्बर-195 रकबा 0.20 एयर, खसरा नम्बर-198 रकबा 0.18 एयर, खसरा नम्बर-199 रकबा 0.11 एयर, खसरा नम्बर-196 रकबा 0.14 एयर, खसरा नम्बर-197 रकबा 0.20 एयर भूमि आबंटित की जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट् ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां प्रस्तुत की जिसे निर्णय दिनांक 10-8-2006 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 3- बहस उभय पक्ष सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलेक्टर, अलवर ने अप्रार्थी संख्या–1 श्री सरसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिनांक 19–6–2002 को विवादित भूमि आबंटित की। उक्त आबंटन नियमों के विपरीत होने के कारण अपीलान्टस ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में की, जिसे उन्होंने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 10–8–2006 द्वारा खारिज कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व कार्यवाही मिसल के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निर्धारित कर खारिज की। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75(बी) के तहत अपील प्रस्तुत की गयी थी जो कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत श्रवण योग्य थी, किन्तु उन्होंने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की है। उन्होंने आवंटन नियम 1963 के नियम–2 में अधिकतम आवंटन योग्य भूमि का वर्णन किया है। जिला कलेक्टर, अलवर ने अप्रार्थी संख्या–1 को 4.16 हैक्टेयर भूमि आबंटित की है जिसमें से 0.5 एकड रियायती दर पर व शेष रकबा डी.एल.सी. दर पर आबंटित की है। नियमानुसार ऐसा आबंटन करने का उन्हें कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उक्त आबंटन राज्य सरकार के आदेशों की पालना में किया गया था, सही नहीं है क्योंकि आबंटन नियम–1963 के अनुसार प्रकरण के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2006 / 6679 / अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्यों के आधार पर आवंटन करना चाहिये, न कि सरकार के आदेशों की पालना में। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने इस संबंध में निष्कर्ष निकालने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलान्ट्स का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा तथ्यों के विपरीत है। विवादित भूमि पर गत 50 वर्षो से मूलचन्द का ही कब्जा रहा है। मूलचन्द अपीलान्ट संख्या-1 लगायत 4 के चाचा थे। वे परिवार के कर्ता-धर्ता थे। उनकी मृत्यु होने पर विवादित आराजी पर अपीलान्टस कब्जे काश्त में हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत मूलचन्द को नोटिस प्राप्त हुये थे। इस प्रकार अपीलान्टस का कब्जा बखूबी साबित था किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय सुनाया। विवादित भूमि पहले बंजड पडी थी जिसे अपीलान्ट के चाचा मूलचन्द व उसके परिवार ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके उसे उपजाऊ बनाकर काश्त करने योग्य बनाया और उस पर काश्त की। अपीलान्टस अनुसूचित जन जाति समुदाय से है। सरकार की मंशा है कि अनुसूचित जाति / जन जाति समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता से भूमि का आबंटन किया जाये किन्तु जिला कलेक्टर, अलवर ने नियमों के विपरीत एक ट्रस्ट को उक्त भूमि आबंटन कर दी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने भी इस तथ्य की अनदेखी की। जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा उक्त आबंटन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्टस को नोटिस जारी कर सुनवाई करनी चाहिये थी किन्तु उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2006 / 6679 / अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आबंटन किया एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस प्रकार विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय नियमों एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्तनीय है तथा जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा किया गया आबंटन नियमों से परे होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। 5- उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 एवं उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा किया गया आबंटन नियमानुसार था जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त किया गया था एवं वन विभाग से भी अनापत्ति प्राप्त कर ली थी। ग्राम पंचायत से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया था। अपीलान्ट्स ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था जिसे बेदखल कर दिया गया था। उक्त भूमि राज्य सरकार की मिल्कियत की भूमि है जिस पर अपीलान्ट्स का कोई **Locus standi** नहीं बनता है और उन्हें आपत्ति करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। 6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि सिवायचक थी। नकल खसरा परिवर्तनशील के अनुसाार अपीलान्ट्स के चाचा मूलचन्द पुत्र गोरधन का कब्जा संवत 2047 लगायत 2051 एवं 2057 में कुछ हिस्से पर था। उक्त कब्जा अवैध था क्योंकि भूमि सिवायचक थी और राज्य सरकार की अनुमति के बिना अवैध रूप से अतिक्रमण करके कब्जा किया गया था जिसके आधार पर अपीलान्ट्स को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 30-7-1997 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि **''मंदिर के पास की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर-148 रकबा 2.35 बंजड, खसरा नम्बर-150 रकबा 0.70 बंजड, खसरा नम्बर-190 रकबा 0.90 बंजड, खसरा नम्बर-195 रकबा 0.28 बंजड, खसरा नम्बर-196 रकबा 0.14, खसरा नम्बर-197 रकबा 0.02 बारानी दोयम, खसरा नम्बर-198 रकबा 0.18 बंजड, खसरा नम्बर-199 रकबा 0.11 बंजड जो कि मंदिर के पास लगती हुई है। किसी के कब्जे काश्त में नहीं है।''** इस प्रकार स्पष्ट है कि रिपोर्ट के समय अपीलान्ट्स का कोई कब्जा नहीं था। यदि पूर्व में कोई अवैध कब्जा भी था तो उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये अतिक्रमियों को बेदखल करते हुये कब्जा राज्य सरकार ने ले लिया था। जिला कलेक्टर, अलवर ने एक पत्र शासन उप सचिसव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग को दिनांक 9-1-2001 को लिखा था जिसमें स्पष्ट अंकन किया गया था कि प्रस्तावित भूमि रकबा 4.86 हैक्टेयर पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है और	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ना ही कोई वाद विचाराधीन है। विवादित भूमि पर पूर्व में अतिक्रमण था जिसे भौतिक रूप से दिनांक 11-6-2001 को बेदखल किया जा चुका है। इस प्रकार कब्जे के बिन्दू पर अपीलान्ट्स को कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि उसके द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को आबंटन से पूर्व हटा दिया गया था।

8- अपीलान्ट्स द्वारा अपील का आधार यह भी बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि उक्त आवंटन जिला कलेक्टर, अलवर ने राज्य सरकार के आदेश की पालना में किया है जो वस्तुतः राज्य सरकार के द्वारा ही किया गया है जिसके विरूद्ध अपील के श्रवण का अधिकार उन्हें नहीं है। हम इस विषय पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट से सहमत हैं कि अपील का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालयों को है। उक्त आवंटन **"(Condition for allotment of unoccupied Govt. Agricultural Land for the construction of Schools, Colleges, Dispensaries, Dharamshalas other buildings of public utility)"** के तहत किया गया है। राज्य सरकार ने उक्त नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-102 के तहत बनाये हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (जिसमें इसके अन्तर्गत बनाये नियम भी शामिल है) के तहत प्रकरणों की अपील धारा-75 व 76 के अधीन की जाती है। धारा-75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 के प्रावधान निम्न प्रकार है :-

*"**75. First Appeals** – (1) Save when otherwise provided in this Act, a first appeal shall lie –*

[(a) to the Collector from an original order passed by a Tehsildar in matters not connected with settlement or land records.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(b) to the (revenue appellate authority) from an original order passed by an Assistant Collector or a Sub-Divisional Officer or a Collector in maters not connected with settlement.] *(c) to the Settlement Officer from an original [xxx] order passed by a revenue court or officer subordinate to him.* *(d) to the Land Records Officer an original [xxx] order passed by a revenue court or officer subordinate to him.* *(e) to the Settlement Commissioner from an original [xxx] order passed by a Settlement Officer or by a Collector in matters connected with Settlement.* *(f) to the Director of Land Records from an original [xxx] order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records, and* *(g) to the Board from an original [xxx] order passed by the [Commissioner or Additional Commissioner, the] [revenue appellate authority], the Settlement Commissioner."* इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा–75(1)(B) के तहत जिला कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध है अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की जायेगी। अतः उक्त प्रकरण में श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालयों को है। 9– उक्त भूमि का आवंटन, आवंटन नियम, 1963 के नियम–2(i) में वर्णित Public Utilitis Buildings के लिये किया गया है जिसमें अधिकतम आबंटन रकबा 0.5 एकड हो सकता है। नियम–4 के proviso में अंकित है कि **"Provided further that allotment of land in excess of prescribed maximum area for any purposes under clause 2 shall be made by the State Govt"** 10– इस प्रकरण में जिला कलेक्टर ने 4.16 हैक्टेयर आबंटन किया है जो निर्धारित सीमा से अधिक है किन्तु इसके लिये राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गयी थी। अतः आबंटन नियमानुसार है। आबंटन नियम 1963 के तहत किन किन संस्थान को कौन सक्षम अधिकारी आबंटन करेगा, इसका वर्णन नियम-4 में किया गया है और नियम-4(ii) में प्रावधान है कि :- *"**4- Alloting Authority**- All allotments under these conditions shall be made by the Collector.* *["Provided where the area to be allotted to a Government Department or an institution or a local body or an authority or a board exceeds upto 25% of the maximum area prescribed in clause 2, the Collector shall obtain prior approval of the Divisional Commissioner."]* *[Provided also that no allotment other than to a Government Department or an Institution or a local body or an authority or a board shall be made without obtaining prior approval of the State Government.]"* 11- इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आवंटन के लिये जिला कलेक्टर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है जिसने अप्रार्थी संख्या-1 को आबंटन राज्य सरकार की स्वीकृति से किया है और निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक के आवंटन के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क्रमांक 19-2-2002 द्वारा प्राप्त कर ली थी। इस आबंटन के संबंध में प्रीमियम के रूप में ली जाने वाली राशि नियम-3(ii) के तहत निर्धारित की गयी थी और इसी अनुरूप ली गयी थी। 12- उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर, अलवर ने उक्त आबंटन, आबंटन नियम-1963 के तहत किया था। आवंटन नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-102 के तहत बनाये गये थे। इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2006 / 6679 / अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार जिला कलेक्टर के द्वारा किये गये आबंटन की प्रथम अपील धारा-75(1)(बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में की जायेगी। अपीलान्ट ने प्रथम अपील उचित रूप से राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में प्रस्तुत की थी, जिसे सुनने का अधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी को है। 13- अपीलान्टस की अपील का आधार यह भी है कि आवंटन अधिकतम क्षेत्रफल से ज्यादा किया गया तथा प्रीमियम की उचित राशि नहीं ली है। पैरा संख्या-9 व 11 में इस पर विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। अतः यह आधार सरहीन है। 14- अपीलान्ट के अधिवक्ता का यह कथन है कि उक्त आवंटन से पूर्व ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्राप्त नहीं की और अपीलान्ट्स को सूचित नहीं किया। पत्रावली में ग्राम पंचायत गोला का बास का पत्र दिनांक 9-4-1997 संलग्न है। जिसमें ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या-4 दिनांक 22-3-1997 की नकल है जिसमें विवादित भूमि को श्री सिरसा देवी मंदिर ट्रस्ट हेतु आबंटन की अभिशंषा की गयी। अतः अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये इस बिन्दु में कोई सार नहीं है। एक अन्य बिन्दु और उठाया गया था कि अपीलान्ट्स को सुना नहीं गया। वस्तुतः अपीलान्ट्स का कोई **Locus standi** ही नहीं है। क्योंकि उनका इस भूमि में कोई हित निहित नहीं है। अवैध कब्जा भी अपीलान्ट का नहीं होकर मूलचन्द का था। खसरा परिवर्तनशील में अपीलान्ट्स व उनके पिता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर **सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सत्यनारायण का कहीं कोई नाम नहीं है फिर किस आधार पर सुनवाई की जाती? इसके अतिरिक्त 1963 के नियमों के तहत आवंटन किया गया है और उनके अवैध कब्जाधारी को पहले नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उपर्युक्त आपत्ति सारहीन है। 15- अपील में लिये गये सभी आधारों का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। विवादित भूमि श्री सरसा देवी ट्रस्ट को आबंटन करने से पूर्व मौके पर खाली थी। राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी। आबंटन सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति द्वारा नियमानुसार किया है जिसका प्रिमियम भी नियमानुसार जमा करा दिया गया था। अतः उक्त आबंटन विधिसम्मत है। अपीलान्ट्स अपील में उठाये गये बिन्दुओं को दस्तावेजों व विधि के प्रावधानों के द्वारा साबित करने में असफल रहे। जिला कलेक्टर, अलवर का आबंटन आदेश 19-6-2002 विधिसम्मत है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 10-8-2006 भी विधि के प्रावधानों के अनुरूप है। 16- अपीलान्ट्स अपनी अपील साबित नहीं कर पाये हैं। हम उक्त अपील में कोई सारभूत तथ्य नहीं पाते हैं। फलतः यह अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2006/6679/अलवर सत्यनारायण आदि बनाम श्री सरसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए